

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 06/2011/परीक्षा/दिनांक 26/12/2011

प्रकाशन की तिथि 28/12/2011

राज्य सेवा परीक्षा – 2011

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 06/05/2012, रविवार प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 10/01/2012 अपराह्न 12.00 बजे से दिनांक 09/02/2012 रात्रि 12.00 बजे तक

महत्वपूर्ण

- राज्य सेवा परीक्षा 2011 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गए किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अन्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रोडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। जो अन्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) को नगद में देना होगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2011 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/01/2012 को दोपहर 12.00 बजे से 09/02/2012 रात्रि 12.00 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद से 10 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 10/02/2012 अपराह्न 12.00 बजे से 20/02/2012 रात्रि 12.00 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु रुपये 30/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। उम्मीदवार द्वारा त्रुटि सुधार शुल्क (रुपये 30/-) का भुगतान क्रोडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार त्रुटि सुधार हेतु सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। जो अन्यर्थी त्रुटि सुधार सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें त्रुटि सुधार शुल्क (रुपये 30/-) सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) को नगद में देना होगा।

(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 (जिसे एतद पश्चात परीक्षा नियम–2008 कहा जायेगा) के नियम–1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों में से निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 06/05/2012 को आयोजित की जाने वाली “प्रारंभिक परीक्षा” के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(2) राज्य सेवा परीक्षा नियम–2008 के परिशिष्ट—एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट—दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट—तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट—चार में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी एवं परिशिष्ट—पांच में सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की जानकारी उल्लेखित है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उम्मीदवार स्वयं परीक्षा नियम–2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनहठ पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/गलत पायी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(3) सेवाओं/पदों का विवरण :—

पद क्र.	पदनाम/विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	वेतनमान
		अना—रक्षित	अनु—सूचित जाति	अनु—सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना—रक्षित	अनु—सूचित जाति	अनु—सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	राज्य सिविल सेवा उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	18	05	07	05	05	01	02	01	—	—	35	15600–39100+ 5400 ग्रेड पे
02	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक गृह (पुलिस) विभाग	25	07	09	07	07	02	03	02	—	—	48	15600–39100+ 5400 ग्रेड पे
03	राज्य लेखा सेवा लेखा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग	01	01	—	01	—	—	—	—	—	—	03	15600–39100+ 5400 ग्रेड पे
04	वाणिज्यक कर अधिकारी वाणिज्यक कर विभाग	01	—	—	01	—	—	—	—	—	—	02	15600–39100+ 5400 ग्रेड पे
05	जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	15600–39100+ 5400 ग्रेड पे
06	सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग	01	01	02	01	—	—	—	—	—	—	05	15600–39100+ 5400 ग्रेड पे
07	श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01	15600–39100+ 5400 ग्रेड पे
08	जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01	15600–39100+ 5400 ग्रेड पे

पद क्र.	पदनाम/विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	योग	वेतनमान
		अना-रक्षित	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना-रक्षित	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	खाद्य अधिकारी/सहायक संचालक, खाद्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपयोक्ता संरक्षण विभाग	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
10	जिला सेनानी गृह (पुलिस) विभाग	03	01	01	01	01	—	—	—	—	—	06	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
11	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	24	11 (4 बैक.)	06	06	07	03 (1 बैक.)	02	02	01 — अना. 01 — अ.जा. 01 — अ.पि.व.	—	47	9300-34800+ 4300 ग्रेड पे
12	अधीनस्थ सिविल सेवा नायब तहसीलदार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	06	04	03	02	02	01	01	—	01 — अना.	—	15	9300-34800+ 4200 ग्रेड पे
13	सहायक अधीक्षक, भू-अभियन्ते राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	05	01	02	01	02	—	—	—	—	—	09	9300-34800+ 4200 ग्रेड पे
14	छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग	14	04	06	05	04	01	02	02	01 — अना. 01 — अ.ज.जा.	01 — अना.	29	9300-34800+ 4200 ग्रेड पे
15	वाणिज्यक कर निरीक्षक वाणिज्यिक कर विभाग	13	04	05	03	04	01	01	01	—	01 — अना.	25	5200-20200+ 2800 ग्रेड पे
16	आबकारी उप निरीक्षक वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	01	—	01	01	—	—	—	—	—	—	03	5200-20200+ 2800 ग्रेड पे
17	सहकारिता निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता विभाग	23	08	10	07	07	02	03	02	01 — अना. 01 — अ.जा. 01 — अ.ज.जा.	02 — अना. 01 — अ.ज.जा.	48	5200-20200+ 2800 ग्रेड पे
18	सहायक जेल अधीक्षक गृह (जेल) विभाग	11	04 (1 बैक.)	05 (1 बैक.)	03	03	01	02	01	—	01 — अना.	23	5200-20200+ 2400 ग्रेड पे

कुल योग :-

302

टीप:- (i) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(ii) विकलांग "अस्थिराधित" ही मान्य होगा।

(iii) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद, उपयुक्त महिला उम्मीदवार के अभाव के कारण रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेंगे ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वे आरक्षित हैं।

परन्तु यह और भी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर निर्धारित संख्या में महिलायें, मेरिट के आधार पर ही उपलब्ध हो जाती हैं तो उस प्रवर्ग में महिलाओं के आरक्षित पदों के विरुद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा।

(iv) विज्ञापन की पैरा – 3 में उल्लेखित पदों की संख्या एतद पश्चात् समय-समय पर शासन से प्राप्त सूचना/जानकारी के आधार पर परिवर्तनीय होगी एवं उक्त स्थिति में विज्ञापित पदों के अलावा परीक्षा नियम-2008 के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में आयोग द्वारा इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी एवं ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित नहीं किये जायेंगे बल्कि इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के उम्मीदवार ही पात्र रहेंगे।

(v) प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

(vi) अत्यंत महत्वपूर्ण :-

उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, विषय तथा केन्द्र आदि को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में उम्मीदवार आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में उम्मीदवार से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय में उम्मीदवार से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे आवेदन आयोग में नस्तीबद्ध किए जाएंगे। उम्मीदवार द्वारा भरे गए प्रवर्ग के आधार पर ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा।

(4) (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेलर) के लिए आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल/स्थानीय निवासी ऐसे उम्मीदवार जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं।

(iii) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल/स्थानीय निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेलर) के हैं वे ऑनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करें।

(iv) जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आवश्यक नहीं है उन मामलों में आवश्यक वर्ग के उम्मीदवारों को अनावश्यक पद के लिये, यदि अनावश्यक पद विज्ञापित हुए हैं तो अनावश्यक उम्मीदवार के साथ विचारित किये जाएंगे।

(v) ऑनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करने के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा अपने प्रवर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

(5) (A) प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र :-

कोड	परीक्षा केन्द्र का स्थान
01	अबिकापुर (सरगुजा)
02	बैंकुण्ठपुर (कोरिया)
03	बिलासपुर
04	धमतरी
05	दुर्ग—भिलाई
06	दंतेवाडा (दक्षिण बस्तर)
07	जगदलपुर (बस्तर)
08	जांजगीर—चांपा
09	जशपुर
10	कर्बीखाम (कवर्धा)
11	कांकेर (उत्तर बस्तर)
12	कोरबा
13	महासमुन्द
14	रायपुर
15	रायगढ़
16	राजनांदगांव

(B) मुख्य परीक्षा के केन्द्र :-

कोड	परीक्षा केन्द्र का स्थान
01	अम्बिकापुर (सरगुजा)
02	बिलासपुर
03	जगदलपुर (बस्तर)
04	रायपुर

टीप:- (i) आयोग द्वारा उम्मीदवार को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा एवं केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है।

(6) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन :-

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिये पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(7) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

टीप:- (i) ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं या ऐसे समस्त उम्मीदवारों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित अर्हता होना अनिवार्य है एवं निर्धारित प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित स्थान पर संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना होगा।

(ii) ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी

अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(8)

आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि :-

उम्मीदवारों के राज्य सेवा परीक्षा 2011 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2012 के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव उम्मीदवार, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।

आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें :-

(8.1) राज्य आवश्यक सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा :-

(A) आयु सीमा - छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भरती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

(B) आयु सीमा में छूटें :-

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवार के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ii) कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बरते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

(iv) कोई उम्मीदवार जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बरते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(vi) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिला उम्मीदवारों की उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। यह छूट आयु सीमा संबंधी अन्य छूटों के अतिरिक्त होगी।

(vii) विधवा—परित्यक्ता उम्मीदवारों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

(viii) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले उम्मीदवारों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के

- सर्वां पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (x) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (C) उप पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मापदंड :-
- (i) ऊँचाई - 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक : (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए) 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (केवल महिला उम्मीदवारों के लिये)।
- (ii) सीना - बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए, इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला उम्मीदवारों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
- (iii) उम्मीदवार को शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए।
- (iv) उम्मीदवार चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अत्पद्धित नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।
- (v) यदि उम्मीदवार उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव उम्मीदवार उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हैं। इस हेतु जो उम्मीदवार उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
- (8.2) उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है :-
- (A) आयु सीमा - छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 23.12.2011 के प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगी :-
- (i) उम्मीदवार द्वारा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष होगी।
- (ii) उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के (अधिकारी/कर्मचारियों) के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भरती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्था निर्धारित/प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भरती के लिये लागू रहेगी।
- (iii) अन्य विशेष वर्ग जैसे - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (iv) छत्तीसगढ़ शासन के स्थानीय/अस्थानी कर्मचारी या राज्य शासन के उपक्रम के स्थानीय/अस्थानी कर्मचारी को सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए।
- (B) आयु सीमा में छूटें :-
- (i) राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) के नियम-5 (ग) (आ) में उल्लेखित क्रमांक (एक) से (अठारह) तक की छूटें उम्मीदवार को दी जायेगी। किसी भी स्थिति में अधिकतम
- (ii) आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (iii) निःशक्तजनों को जिनकी शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, केवल तृतीय श्रेणी के पदों हेतु (अधिकतम आयु सीमा में) 10 वर्ष तक की छूट होगी।
- (iv) अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम-9 एवं संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में उल्लेखित है।
- (9) नियोक्ता की अनापत्ति :-
- सभी उम्मीदवार चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपक्रम में हो या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) उनको अथवा लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत है, उनको यथा स्थिति मुख्य परीक्षा के समय यह परिवर्चन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख से आवश्यक अनुमति ले लिया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उसके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुये उन्हें अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।
- (10) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न सुविधाएं केवल छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये ही लागू होगी। अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा।
- टीप:- समस्त आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र बनाकर तैयार रखें। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान छ0ग0 शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें। निर्धारित स्थान पर संबंधित प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने की अवश्या में उम्मीदवार को आयोग द्वारा छूट देना संभव नहीं होगा तथा ऐसे उम्मीदवार को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा।
- (11) अन्य निर्देश/जानकारी
- (i) प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवार का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/विकलांगता/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व तथा अनुप्रमाणन फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसके परीक्षण उपरांत उम्मीदवार की अर्हता (eligibility) की जांच की जाएगी।
- (ii) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
- (iii) प्रारंभिक परीक्षा की अंक सूचियां जारी नहीं की जाती हैं।
- (iv) प्रारंभिक परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग का प्रयास करना, दी गई

- उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न—पत्र को क्षति पहुंचाना, निरीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / अधिकारियों के निर्देश की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, धमकी देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
- (v) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है और इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- (vi) यदि उम्मीदवार के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग कार्यालय को तत्काल भेजी जाए, यद्यपि आयोग पता परिवर्तन का पूरा प्रयास करता है किन्तु इस मामले में उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।
- (vii) उम्मीदवार को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, प्रवर्ग, परीक्षा का नाम, आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए।
- (viii) परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।
- (ix) आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात् परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची उम्मीदवारों को सामान्य डाक से उनके आवेदन पत्र में दर्शाये वर्तमान पते पर भेजी जाती है तथा आयोग की वेब—साईट www.psc.cg.gov.in में भी उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग द्वारा मान्य पहचान चिन्ह एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा निरस्त की जायेगी। अतः ऐसे उम्मीदवारों को अंक सूची नहीं भेजी जायेगी, किन्तु यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा भेजी गई अंक सूची किसी कारण वश प्राप्त नहीं होती है तो अंक सूची की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के लिए पर्याप्त डाक टिकट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रुपये 25/- रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम से भेजें। अंक सूची की द्वितीय प्रति उन्हीं उम्मीदवारों को भेजी जायेगी जिनके आवेदन चयन परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त होंगे।
- (x) **पहचान चिन्ह :-**
- उत्तर—पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लियें। उत्तर—पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर—पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर—पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। लिखने के लिए केवल काली स्पाही का प्रयोग करें। उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर वह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी अस्वीकृति निरस्त की जाएगी।
- (12) तृतीय श्रेणी के पदों के लिए विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा (बोली) अथवा स्थानीय बोलियों का पर्याप्त ज्ञान को महत्व देते हुये साक्षात्कार के अंक दिये जायेंगे।
- (13) अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आयोग की वेब—साईट www.psc.cg.gov.in में भी उपलब्ध करायी जायेगी। अनुचित साधन प्रयोग, कम / अधिक आयु, गलत जानकारी इत्यादि देने वाले प्रकरणों के कारण जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उनके प्राप्तांकों की जानकारी वेब—साईट में दर्शित नहीं की जाएगी।
- (14) यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें आयोग द्वारा “रोजगार और नियोजन” अथवा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति प्रकाशित कर अथवा आयोग की वेब—साईट में यथा समय दी जावेगी।
- (15) **अत्यन्त महत्वपूर्ण :-**
- (i) विकलांग / भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथारथान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का

क्रमांक, दिनांक, जारी कर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(ii) दृष्टिहीन तथा अन्य विकलांग उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अशासकीय चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दृष्टिहीन उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्रों के लिये 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

दृष्टिहीन उम्मीदवारों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय से कम से कम 15 दिन पूर्व संपर्क करें। इसके लिये स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। परीक्षा केन्द्र पर कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की जावेगी।

(iii) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे उम्मीदवार जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित उम्मीदवार मान्य नहीं होंगे) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार है:-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2011 के विज्ञापन क्रमांक 06 / 2011 / परीक्षा दिनांक 26 / 12 / 2011 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण—पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

नाम

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण—पत्र केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले अनुप्रमाणन पत्र के साथ संलग्न करें)

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो वर्तमान में शासकीय सेवा में हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिक को देय छूट का लाभ देय नहीं होगा। यदि ऐसे उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को लागू अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान लागू होंगे।

(16) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु आयोग को कोई प्रमाण पत्र / दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(17) (i) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के वार्ताविक प्राप्तांकों के आधार पर ही प्रावीण्य सूची बनेगी। इस प्रावीण्य सूची में विज्ञापित पदों के वर्गावार पंद्रह गुने तथा अंतिम चयनित उम्मीदवार के समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सम्मिलित किया जायेगा जो मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

(ii) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के ऐच्छिक विषयों में स्केलिंग पद्धति लागू की जायेगी। इसमें उम्मीदवारों के ऐच्छिक विषय में प्राप्त अंकों को स्केल Scale किया जावेगा। इस हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जावेगा।

सूत्र स्केल्ड अंक = M + (X - m) S/s

यहाँ

M = राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के विभिन्न 25 ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (**Raw Marks**) का ओवरलॉन माध्य (**Overall Mean**)

X = उम्मीदवार द्वारा किसी ऐच्छिक विषय में प्राप्त बगैर स्केल किये अंकों (**Raw Marks**)

m = किसी ऐच्छिक विषय में प्राप्त बगैर स्केल किये अंकों (**Raw Marks**) का माध्य (**Mean**)

S = सभी 25 ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (**Raw Marks**) का मानक विचलन (**Standard deviation**)

$s =$ किसी ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (**Raw Marks**) का मानक विचलन (**Standard deviation**)

(iii) मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषयों के स्कोलिंग, विषय-वार, प्रश्न-पत्रवार होगी। स्कोलिंग पद्धति अपनाकर जो अंक प्राप्त होंगे, उन अंकों को अनिवार्य विषयों के अंकों के साथ जोड़कर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी। इस प्रकार बनी प्रावीण्य सूची में, विज्ञापित पद की संख्या के तीन गुने तथा अंतिम चयनित उम्मीदवार के समान अंक पाने वाले उम्मीदवार भी साक्षात्कार के लिए अहं घोषित किये जायेंगे।

(18) विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों

से प्राप्त किया जावेगा तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में उम्मीदवारों का चयन होगा। उम्मीदवारों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा।

(19) साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवार द्वारा अग्रमान्यता पत्रक में दिये अधिमान के क्रम अनुसार पद आंबटित किये जायेंगे। अग्रमान्यता पत्रक में जिन पदों के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमान नहीं दिया जायेगा उन पदों के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।

हस्ता /—

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

रायपुर